

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक-प. 6(2) साप्र / 3 / 81

जयपुर, दिनांक 04.05.2012

—:आज्ञा:—

विषय:- वर्दी की दरें निर्धारित करने बाबत।

राज्य कर्मचारियों को वर्दी की दरों के सम्बन्ध में जारी इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4.1.94 के अधिकरण में वित्तीय वर्ष 2012-13 से वर्दी की दरें निम्न प्रकार पुनर्निर्धारित की जाती हैं :—

क्रमांक	पदनाम	वर्तमान दरें	संशोधित दरें
1.	नर्स (नर्सिंग स्टॉफ)	₹ 948/-	₹ 1500/-
2.	सचिवालय के जमादार	₹ 944/-	₹ 1500/-
3.	अन्य विभागों के जमादार	₹ 658/-	₹ 1200/-
4.	ड्राइवर	₹ 667/-	₹ 1200/-
5.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	₹ 543/-	₹ 1100/-
6.	महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	₹ 762/-	₹ 1300/-

वर्दी के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अन्य दिशा निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

यह आदेश वित्त (व्यय-2) विभाग के विभाग द्वारा आई0डी0 नं0 131200303 दिनांक 1.5.12 द्वारा प्रदान की गयी सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,


 (डा० आ० आ० मी.जैन)
 प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1- प्रमुख सचिव, मा. राज्यपाल/मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान।
- 2- विशेष सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/भासदीय सचिवगण।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
- 4- निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रशासन/शासन सचिव/विशेष शा० सचिव/उ०शा०स०।
- 5- गहलेखाकार, राजस्थान—जयपुर।
- 6- आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
- 7- समस्त विभागाध्यक्षगण (संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर सहित), राजस्थान।
- 8- शासन उप सचिव, कर्मिक (ख) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 9- उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-2)/(बजट) विभाग/प्रशासनिक सुधार विभाग।
- 10- उपनिदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री सचिवालय, जयपुर।
- 11- समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
- 12- वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
- 13- रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. निवधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, सेल टेक्स ट्रिब्यूनल, अजमेर।
7. रजिस्ट्रार, राजस्थान रिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
8. रायत पत्रावली।


 प्रमुख शासन सचिव


 प्रमुख शासन सचिव